

कार्यालय— निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा-ब/22805/वि.सामा./2018-19/6-7/

दिनांक : 24/9/18

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) प्रथम/द्वितीय

विषय :- नि:शक्तजनों की संस्थाओं को प्रोत्साहन बाबत।

प्रसंग :- आयुक्त विशेष योग्यजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आदेश क्रमांक :

16 (1) आनिज/निजअ/धारा-66/2018/1406 दिनांक : 25.07.2018 ।

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में लेख है कि राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) के आदेश (परिपत्र संख्या : 08/03) दिनांक : 18.06.2003 के द्वारा नि:शक्तजनों की संस्था को प्रोत्साहन हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम 32 की सारणी में वर्णित क्रम संख्या 27 के अनुसार फाईल कवर, फाईल पैड, लिफाफे, ग्रीटिंग कार्ड, चाँक लिस्ट, डस्टर, मोमबत्ती व बस्ते (कुल 8 आईटमस) की दरें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निर्धारित किए जाने का प्रावधान है। उक्त आईटम तय दरों पर मानसिक रूप से चैलेन्ज्ड या विशेष योग्यजन की उन संस्थाओं से क्रय किए जा सकते हैं जिनमें उन आईटमस (वस्तुओं) का उत्पादन इन संस्थाओं के मानसिक रूप से चैलेन्ज्ड या विशेष योग्यजनों द्वारा किया जाता है। ऐसी संस्थाओं की सूची भी प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रसारित किए जाने का प्रावधान किया गया है।

आयुक्त, विशेष योग्यजन के आदेश प-16 (1) आनिज/धारा-66/13/632 दिनांक : 09.0.2017 द्वारा वस्तुओं की दरें दिनांक : 31.03.2018 तक की अवधि के लिए लागू की गई थी। वित्तीय वर्ष-2018-19 में निम्नलिखित दरें लागू की गई हैं जो निम्नानुसार है :-

(अ) निर्धारित दरें :-

क्र.स.	नाम वस्तु	वर्ष 2018-19 में स्वीकृत दरें
1	फाईल कवर्स	राशि रुपये 6.25 रु. प्रति नग रिकार्ड तथा GST अतिरिक्त
		राशि रुपये 7.25 रु. प्रति नग ऑफिस तथा GST अतिरिक्त
2	फाईल पैड	28 औन्स - 7.25 रु. प्रति नग तथा GST अतिरिक्त
		36 औन्स - 9.00 रु. प्रति नग तथा GST अतिरिक्त
3	लिफाफे "9x4"	लोकल 58 ग्राम-240 रु. प्रति हजार तथा GST अतिरिक्त
		18 स्टार क्राफ्ट 58 ग्राम GST -375 रु. प्रति हजार तथा GST अतिरिक्त
		लोकल 58 ग्राम-260 रु. प्रति हजार तथा GST अतिरिक्त
	"10x4"	18 स्टार क्राफ्ट 58 ग्राम GST -400 रु. प्रति हजार तथा GST अतिरिक्त
		लोकल 58 ग्राम-280 रु. प्रति हजार तथा GST अतिरिक्त
	"11x5"	18 स्टार क्राफ्ट 58 ग्राम GST -500 रु. प्रति हजार तथा GST अतिरिक्त
4	चाक स्टिक	6.25 रु. प्रति डिब्बा (50 चाक) तथा GST अतिरिक्त
5	मोमबत्ती	165 रु. प्रति किलो तथा GST अतिरिक्त

6	डस्टर सफेद 90x90 cm 60x60 cm	48.00 रु. प्रति नग तथा GST अतिरिक्त 26.00 रु. प्रति नग तथा GST अतिरिक्त
7	बस्ते रंगीन 100x100 cm 90x90 cm	47.00 रु. प्रति नग तथा GST अतिरिक्त 41.00 रु. प्रति नग तथा GST अतिरिक्त
8	ग्रीटिंग कार्ड	21.00 पैसे नग तथा GST अतिरिक्त

(ब)-निर्धारित संस्थाओं की सूची (List of Institutions) (निःशक्तजन अधिनियम 1995 के तहत पंजीकृत)

1. कमल विकलांग सहकारी समिति लि0, बी-96, सेठी कॉलोनी जयपुर मोबाईल नम्बर-9928525313।
2. राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ 3780, लंगर के बालाजी का रास्ता, गणगौरी बाजार, जयपुर।
यह आदेश दिनांक: 31.03.19 तक वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रभावी रहेगा।




(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग जयपुर को पत्रांक : प.3 (2) शिक्षा-1/200/पार्ट-3 जयपुर दिनांक : 28.08.2018 के क्रम में।
2. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
3. मण्डल उप निदेशक (माध्यमिक)
4. सिस्टम एनालिस्ट।
5. प्रभारी लेखा (लेखा-2) अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. स्टाफ ऑफिसर कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।



उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर